न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं0 829/दावा/2016
(पूर्व मि0नं0 798/2014)
दायरा दि0 21/11/2014

उनवान

1. भंवरलाल पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर
2. रामपाल पुत्र रामकिशन जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर
3. बतूलबाई पत्नि रामकिशन जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर
4. कालीबाई पुत्री रामकिशन जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर

— वादीगण

बनाम्

1. मथुरालाल पुत्र बालाजी जाति मीणा निवासी गुलखेडी तह0 खानपुर
2. धर्मराज पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर
3. मुकेश पुत्र मथुरालाल जाति मीणा निवासी गुलखेड़ी तह0 खानपुर
4. शाखा प्रबंधक सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा पनवाड़ तह0 खानपुर
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील खानपुर

— प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 25/04/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने एक वाद धारा 183, 188, 209 आर. टी.एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गुलखेड़ी की जमाबंदी सं0 2069–72 की खतौनी सं0 49 की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा, ख0नं0 36 की 0.18 बीघा, ख0नं0 37 की 0.17 बीघा, ख0नं0 45 की 0.07 बीघा, ख0नं0 187 की 14.04 बीघा कुल 8 किता की 28.17 बीघा आराजी वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की है। उक्त आराजी पड़त पड़ी हुई है और सरसों, गेहूँ, धनिया आदि फसल बोने का समय है और फसल बोना आवश्यक है।

वादीगण दिनांक 6.9.2014 को अपने खाते की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा पर फसल बोने से पहले हांकने गये तो प्रतिवादीगण 1 लगा0 3 मथुरालाल, धर्मराज, मुकेश ने वादीगण को अपने खाते की आराजी को हांकने से मना किया और हांकने लगे तो लटठ, गंडासियां लेकर मारने दौड़े और आराजी हांकने नहीं दी तथा धमकी दी कि आराजी को हांकी तो जान से मार देंगे। वादीगण ने इसकी रिपोर्ट थाना खानपर में दर्ज करायी किन्तु कोई सुनवाई नहीं की। यही वाद कारण है। वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेंट हैं, इसलिये वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है और प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। यदि प्रतिवादीगण ने वादीगण को अपने खाते की आराजी को हांककर फसल नहीं बोने दी तो वादीगण को आर्थिक नुकसान होगा और जीवनयापन करने के लिये गंम्भीर समस्य उत्पन्न हो जायेगी। साथ ही वादीगण को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

द्रव्य में असम्भव है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना नितान्त आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध मय खर्चा डिक्री फरमाया जावे कि प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वो वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की ग्राम गुलखेड़ी की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा आराजी में वादीगण को हांकने, जोतने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वंय करें और न ही अन्य किसी प्रतिनिधी से करवाये। यदि दौराने वाद कब्ज कर लें तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वह भी दिलवायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रति0नं0 4, 5 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये ऐसे में इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी नं0 1 लगा0 3 की ओर से श्री वृजसुन्दर शर्मा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाबदावा का अवसर चाहा गया। प्रतिवादी 1, 2, 3 की ओर से लगभग एक दर्जन अवसर के बाद भी जवाब दावा पेश नहीं हुआ। वहीं दिनांक 11.01.2018 को प्रतिवादी नं0 1, 2, 3 एवं इनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध भी एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अधिवक्ता वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य में वादनी बतूलबाई एवं गवाह नृसिंहलाल के बयान दर्ज कराये तथा नकल जमाबंदी सं0 2069–72 खतौनी सं0 49 ग्राम गुलखेड़ी Exp1 प्रदर्श करायी गयी। तत्पश्चात साक्ष्य वादी बंद की जाकर अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम गुलखेड़ी की खतौनी सं0 49 की कुल 8 किता की 28.17 बीघा आराजी वादीगण के खाते एवं कब्जे काश्त की है, इसमें से ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा आराजी को वादीगण दिनांक 6.9.2014 को हांकने गये तो प्रति0 1 लगा0 3 मथुरालाल, धर्मराज, मुकेश लटठ, गंडासियां लेकर मारने दौड़े और आराजी हांकने नहीं दी और धमकी दी कि आराजी को हांकी तो जान से मार देंगे। वादीगण उक्त आराजी के खातेदार टीनेंट हैं। यदि हम आराजी में फसल बोने से वंचित हो गये तो हमारे सामने जीवनयापन का संकट पैदा हो जायेगा। साथ ही ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति द्रव्य में असम्भव है। हमने अपने खाते की नकल पेश की है तथा गवाहान के बयान कराये हैं, जिससे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा स्वीकार कर डिक्री करें तथा इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि प्रतिवादी 1, 2, 3 हमारे खाते की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा आराजी को हांकने, जोतने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। यदि दौराने वाद कब्ज कर लें तो प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली की डिक्री पारित की जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपान्त अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध ग्राम गुलखेड़ी की उनके खाते की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा आराजी पर काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतू यह वाद पेश किया है। Exp1 नकल जमाबंदी ग्राम गुलखेड़ी खतौनी सं0 49 की कुल 8 किता की 28.17 बीघा में ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा वादग्रस्त आराजी वादीगण के खाते दर्ज है। प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड एवं वादनी बतूलबाई व गवाह नृसिंहलाल के बयानों से वादीगण का वादी बखूबी साबित है। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहे हैं। इससे भी स्पष्ट हो जाता है कि इनको वादीगण के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। चूँकि वादीगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार टीनेंट हैं ऐसे में यह प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
ब्यानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

अतः वाद, वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ग्राम गुलखेड़ी की ख0नं0 30 की 4.04 बीघा, ख0नं0 31 की 0.14 बीघा, ख0नं0 32 की 3.15 बीघा, ख0नं0 33 की 3.18 बीघा कुल 12.11 बीघा आराजी को वादीगण को हांकने, जोतने व फसल बोने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। ऐसा कार्य न तो स्वंय करें और न ही अन्य किसी प्रतिनिधी से करवाये। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी करें। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25 /04/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner